

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रांक:- / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 06 अप्रैल 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -14 के अन्तर्गत देवलधार से ग्राम कलचुण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.853 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- वन एवं पर्यावरण अनुभाग -4 उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक 1049(1)/X-4-16/1(549)/2016 दिनांक 30-09-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) कर्णप्रयाग के पत्रांक 1120/चार प्रावि० दिनांक 13-03-2017 द्वारा भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित अधिरोपित समस्त शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को 04 प्रतियों उपलब्ध कराई गई है, अनुपालन आख्या 03 प्रतियों निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू. 13,14,103.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RIGS के माध्यम से चैक संख्या 242527 दिनांक 20-03-2016 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttrakhand SB/ AC No 15089 Road Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 nd Floor jellita Tawer Mission road Bangalore 560027 में चालन द्वारा जमा की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न) जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमलदरामद का प्रमाण 17-01-2018 द्वारा जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न।
- 2- शर्त संख्या 2 के अनुपालन में मार्ग के दोनों रिक्त पडें स्थानों पर नियमानुसार यथोचित वृक्षारोपण हेतु रू० 21,49,567.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। चालान की छायाप्रति संलग्न।
- 3- शर्त संख्या 3के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान मूल्य पर रू० 18,74,421 मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न।
- 4- शर्त संख्या 4 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर क अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 5- शर्त संख्या 5 क अनुपालन मे डिमाण्ड नोट को आनलाइन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 1,2, एवं 3 धनराशि रू. 53,83,091.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
- 6- शर्त संख्या 6 के अनुपालन में शासन की शर्त मान्य है।
- 7- शर्त संख्या 7 के अनुपालन में शासन की शर्त मान्य है।
- 8- शर्त संख्या 8 के अनुपालन में शासन की शर्त मान्य है।
- 9- शर्त संख्या 9 के अनुपालन में शासन की शर्त मान्य है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) कर्णप्रयाग के उक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 3981/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) कर्णप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3600/18
07/01/18

श्री अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग
581
1-5-10
J.E.T.

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।